समेकित बाल विकास सेवाएँ अन्तर्गत आँगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका-2011

1. **उद्देश्य** :-

वर्ष 2006 में समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका निर्गत की गयी थी। उसके अनुपालन में हो रही व्यवहारिक कठिनाईयों के निवारण एवं कुछ विन्दुओं को और स्पष्ट करने के उद्देश्य से वर्ष 2010 में पूर्व की मार्गदर्शिका को संशोधित किया गया।

सेविका/सहायिका की चयन की प्रक्रिया में जटिलता, सेविका/सहायिका के काफी पदों के रिक्त रहने के कारण आँगनबाड़ी केन्द्रों के क्रियाशील करने में आ रही बाधा, सेविका/सहायिका के चयन के संबंध में हो रहे विलम्ब तथा विभिन्न जिलों से सेविका/सहायिका चयन के संबंध में मांगे जा रहे मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने चयन की प्रक्रिया को सहज, सरल, पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने के लिए पूर्व निर्गत मार्गदर्शिका को रद्द करते हुए इस मार्गदर्शिका को निर्गत होने की तिथि से प्रभावकारी बनाने का निर्णय लिया है। इसके प्रभावकारी होते ही इसके प्रावधानों के अनुसार चयन संबंधी कार्य किये जायेंगे। इससे हुए किसी विचलन को सरकार गंभीरतापूर्वक लेंगी तथा इसके जिम्मेवार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

2. **परिभाषाएं** :- इस मार्गदर्शिका में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "वार्ड की आम सभा" से अभिप्रेत है वार्ड में स्थित आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र के सभी व्यस्क सदस्यों की आम सभा।

(ख) "प्रधान सचिव" से अभिप्रेत है राज्य के समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अथवा सचिव।

(ग) "आँगनबाड़ी केन्द्र" से अभिप्रेत है आई.सी.डी.एस. अंतर्गत बाल विकास परियोजना के क्षेत्राधीन गाँव/टोलों में स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्र।

(घ) "आँगनबाड़ी सेविका" से अभिप्रेत है समेकित बाल विकास सेवा योजना के आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए सेविका के कार्य हेतु चयनित सामाजिक कार्यकर्ता।

(ङ) "आँगनबाड़ी सहायिका" से अभिप्रेत है समेकित बाल विकास सेवा योजना के आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए सहायिका के कार्य हेतु चयनित सामाजिक कार्यकर्ता।

(च) "निदेशक" से अभिप्रेत है राज्य के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय के निदेशक।

2. चयन हेतु चयन समिति में वार्ड सदस्य की अनुपस्थिति में वार्ड के पंच आम सभा की अध्यक्षता करेंगे (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड की आम सभा के सदस्यों द्वारा आम सभा के दिन उनके द्वारा चयनित कार्यकारी अध्यक्ष के तत्त्वाधान में आम सभा संपन्न होगी।

3. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रत्येक चयन के लिए वार्ड की आम सभा के बैठक की लिखित सूचना सात दिन पूर्व प्रस्तावित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को देंगे तथा उसकी प्राप्ति रसीद रिकार्ड के रूप में कार्यालय में संधारित करेंगे। साथ ही आम सभा की सूचना संबंधित पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नगर पंचायत, नगर परिषद् तथा नगर निगम के कार्यालयों, आँगनबाड़ी केन्द्र तथा सार्वजनिक स्थल के नोटिस बोर्ड पर 7 दिन पूर्व चिपकायी जायेगी।

4. आँगनबाड़ी सेविका चयन हेतु अर्हता :—

4.1 शैक्षणिक योग्यता : सेविका चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होगी। मैट्रिक के समकक्ष अन्य योग्यताओं को उसी स्थिति में मान्यता दी जायेगी जबकि उसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गई हो।

4.2 चयन प्रक्रिया में बाहुल्य वर्ग की अनिवार्यता नहीं रहेगी। सभी वर्गों से मेधा सूची के अनुसार चयन किया जायेगा।

4.3 अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

4.4 सेविका पद की रिक्ति के विज्ञापन के प्रकाशन के वर्ष की प्रथम जनवरी को न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी।

4.5 सेविका को संबंधित पोषक क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र साक्ष्य माना जायेगा।

4.6 आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का उम्मीदवार उपलब्ध न रहने की स्थिति में उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र के निकटतम टोला/वार्ड परिधि में, जहाँ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का अभ्यर्थी उपलब्ध हो, से चयन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

4.7 आँगनबाड़ी सेविका उस गाँव की बहु होनी चाहिए। अविवाहित महिला का चयन सेविका के पद पर नहीं किया जायेगा। यदि उस टोले/गाँव की बेटी स्थायी रूप से माँ के यहाँ निवास करती है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तथा चुनाव आयोग का फोटो प्रमाण पत्र तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र (जो छः माह पूर्व से पहले का निर्गत न हो) उपलब्ध है तो उनके चयन पर भी विचार किया जाएगा।

5.3 इसके अलावा सेविका के मेधा सूची के निर्धारण में निम्नांकित अतिरिक्त बोनस अंक दिये जाएगें।

(क) विधवा/परित्यकता	–	7 अंक
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	–	7 अंक
(ग) विकलांग	–	5 अंक
(घ) सहायिका	–	5 अंक

5.4 उम्मीदवारों की एक मेधा सूची मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के अनुसार सर्वप्रथम विहित प्रपत्र में तैयार की जाएगी। इसके बाद कंडिका 5.2 और 5.3 के अनुसार प्राप्त कुल बोनस अंकों को प्राप्त प्रदत्त अंक मे जोड़कर सम्पूर्ण मेधा अंक निकालकर मेधा सूची विहित प्रपत्र 'ग' में तैयार की जाएगी एवं उसमें से सर्वाधिक मेधा अंक वाले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। (मेधा सूची का विहित प्रपत्र अनुलग्नक 'ग' संलग्न)

5.5 कंडिका 5.4 के अनुसार तैयार मेधा सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक की स्थिति में प्राथमिकता निम्न क्रम में दी जायेगी:–

1. विधवा
2. परित्यकता
3. विकलांग
4. सहायिका
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

टिप्पणी:–

विधवा उम्मीदवार (ससुराल/मायका में रह रही है) को अपने पति का मृत्यु प्रभाण पत्र तथा पुर्नविवाह नहीं करने संबंधी मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) का प्रमाण पत्र **अनुलग्नक 'क'** में जमा करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार परित्यकता उम्मीदवार को भी अपने परित्यक्ता होने का मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) से प्राप्त प्रमाण पत्र **अनुलग्नक 'ख'** में जमा करना होगा। अनुलग्नक **'क'** एवं **'ख'** वार्ड की आम सभा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

5.6 मेधा निर्धारण के संबंध में सभी प्रकार की आपत्तियों का निराकरण बाल विकास परियोजना पदाधिकरी द्वारा मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से तीन दिन के अंदर कर सूचना जिला प्रोग्राम कार्यालय को दे दी जायेगी।

टिप्पणीः– कंडिका 5.5 की टिप्पणी की शर्तें यहाँ लागू रहेंगी।

7.3 मेधा निर्धारण के संबंध में सभी प्रकार की आपतियों का निराकरण बाल विकास परियोजना पदाधिकरी द्वारा मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से तीन दिन के अंदर कर सूचना जिला प्रोग्राम कार्यालय को दे दी जायेगी।

8. सेविका/सहायिका के लिए चयन की प्रक्रिया :–

8.1 किसी भी बाल विकास परियोजना में आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका की रिक्ति होने पर उसकी सूचना रिक्ति होने के एक सप्ताह के अंदर संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संबंधित रिक्तियों को भरने के लिये राज्य के दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में (यथा हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, आज, राष्ट्रीय सहारा आदि) सात दिनों के अंदर विज्ञापन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशित करवाने हेतु भेजेंगे तथा इसकी प्रति संबंधित आँगनबाड़ी केन्द्रों, सार्वजनिक स्थल, ग्राम पंचायत कार्यालय/नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद्, प्रखंड कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पट पर व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु चिपकायेगें। इसकी एक प्रति आई.सी.डी.एस. निदेशालय को भी भेजी जायेगी।

8.2 विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात उम्मीदवारों द्वारा परिशिष्ट–1 में उल्लिखित विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र भर कर सूचना प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के अंदर संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा किया जाएगा। जमा किये गये आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा आवेदन पत्रों पर क्रमांक एवं प्राप्त होने की तिथि अंकित की जायेगी। यदि आवेदिका चाहे तो अपना आवेदन पत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में भी समर्पित कर सकती है। सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची बनाकर आवेदन पत्र के साथ आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित तिथि के तीन दिनों के अंदर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में भेज देंगे। यदि आँगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु एकल आवेदन प्राप्त होता है तो उसे विचारनीय मानते हुए चयन की कार्रवाई की जाएगी।

8.3 आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाएगी। संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति वार्ड की आम सभा में आवेदिका द्वारा दिखलाया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही उम्मीदवारों को कागजातों के साथ वार्ड की आम सभा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वार्ड की आम सभा में ऐसे प्रमाण पत्रों का विवरण कंडिका– 5 अथवा 7 के आलोक में विहित प्रपत्र अनुलग्नक 'ग' में मेधा सूची में अंकित करेंगी तथा ये प्रमाणित करेंगी कि उन्होंने मूल प्रमाण पत्रों का मिलान स्वयं कर लिया है और इसे सही/गलत पाया है। मूल प्रमाण

नोटः— मैपिंग पंजी के संबंध में अलग से विरतृत निर्देश निकलने तक मार्गदर्शिका 2010 तथा इसके अलावा पूर्व में दिये गये दिशा निर्देश यथवत् रहेगें।

8.9 लाभान्वितों के बीच वार्ड की आम सभा की तिथि/समय के प्रचार–प्रसार की जबावदेही महिला पर्यवेक्षक, वार्ड सदस्य तथा वार्ड आयुक्त की होगी।

8.10 वार्ड की आम सभा की तिथि एवं समय के संबंध में विधिवत सूचना वार्ड आयुक्त/वार्ड सदस्य/पंच को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। बैठक की विधिवत सूचना ग्रामीण परियोजना के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय, शहरी परियोजना के लिए अधिसूचित क्षेत्र समितियॉ/नगर पालिका/नगर निगम कार्यालय, सार्वजनिक स्थल, प्रस्तावित आँगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा प्रखंड कार्यालय में चिपका दी जायेगी, तथा संबंधित आँगनबाड़ी केन्द्र, के पोषक क्षेत्रों के लाभुकों के बीच डुगडुगी पिटवाकर/लाउडस्पीकर के द्वारा प्रसारित की जायेगी।

8.11 सेविका/सहायिका के चयन हेतु वार्ड की आम सभा की बैठक उसी टोला/गॉव/मोहल्ला के सार्वजनिक स्थल पर की जायेगी, जिस टोला/गॉव/ मोहल्ला में ऑगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह आम सभा किसी व्यक्ति विशेष के घर/आंगन में आयोजित नही की जायेगी।

8.12 सेविका/सहायिका के चयन के लिए आयोजित वार्ड की आम सभा में केवल इस योजना के लाभुक परिवार के वयस्क सदस्य जिनके परिवार के मुखिया का नाम मैपिंग पंजी में दर्ज हो (महिला एवं पुरूष) भाग लेंगे। आम सभा की कारवाई के पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा इस वार्ड की आबादी तथा वांछित कोरम (Quorum) की जानकारी उपस्थित लोगों को कराई जाएगी।

वार्ड की आम सभा की कार्यवाही पंजी में बैठक में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रपत्र में संधारित की जायेगी :–

क्र0 सं0	उपस्थित सदस्यों का नाम	पिता/पति	गॉव/टोला का नाम	जाति	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

वार्ड की आम सभा की कार्यवाही पंजी के प्रथम पृष्ठ पर कुल पृष्ठों का प्रमाणिकरण अनिवार्य रूप से किया जायेगा। बैठक में संबंधित ऑगनबाड़ी केन्द्र के मैपिंग पंजी में दर्ज व्यस्क महिला एवं पुरूष की संख्या के न्यूनतम 20% के बराबर लाभुकों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा चयन समिति के 2/3 या उससे अधिक (4 या उससे अधिक) सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि बैठक में उपरोक्त कोरम पूरा नहीं होता है तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उस बैठक को अगले सप्ताह के उसी दिन और उसी समय के लिए स्थगित कर देंगे तथा इन सभी तथ्यों को वार्ड की आम सभा की कार्यवाही पंजी में सुस्पष्ट ढंग से उल्लिखित करेंगे। स्थगित बैठक के बाद की बैठक के लिए

होना अनिवार्य होगा। चयनित सेविका को परीक्षा देने के 2 मौके दिये जायेंगे। परीक्षा में उपस्थित न होने को एक मौका मानते हुए परीक्षा में असफल होना माना जायेगा। परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त न होने पर सेविका को चयनमुक्त कर दिया जायेगा। परीक्षा आयोजन के संबंध में विस्तृत निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

9. चयन की अवधि :–

9.1 सेविका / सहायिका अधिकतम 55 साल की उम्र तक कार्य कर सकेंगी। 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के महीने में सेविका / सहायिका स्वतः सेवा–मुक्त हो जाएगी। इसके पश्चात् इस मार्गदर्शिका के अनुसार नई सेविका / सहायिका के चयन की कार्रवाई की जाएगी।

9.2 प्रथम बार में सेविका / सहायिका का चयन 3 वर्षों के लिए किया जायेगा। प्रत्येक तीन वर्ष पूर्ण होने के बाद कार्य संतोषजनक पाये जाने और कंडिका 4 अथवा 6 में वर्णित सारी अहर्त्ताओं को पूर्ण करने पर ही सेविका / सहायिका के चयन को जिला पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की एक समिति द्वारा पुनः 3 वर्ष के लिए बढाया जायेगा। पूर्व से चयनित सेविका / सहायिका के लिए यह प्रकिया प्रति तीन वर्ष बाद अपनाई जायेगी।

10. चयन प्रक्रिया से संबंधित शिकायतें तथा केन्द्रों की जांच संबंधित मामलों का निष्पादन :–

10.1 सेविका / सहायिका के चयन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। यदि जाँच के क्रम में यह पाया जाता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा जानबुझ कर चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरती गयी है अथवा लापरवाही बरती गई है तो उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

10.2 चयन संबंधी अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जिला पदाधिकारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी / अपर समाहर्त्ता / वरीय उप समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी से इसकी जाँच करायी जाएगी। जॉच परिवाद पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी। जॉच पदाधिकारी जॉच समाप्त होने की तिथि से सात दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी को अपना प्रतिवेदन सौंपेंगे। जिला पदाधिकारी परिवाद से संबंधित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर संबंधित पक्षों को सुनकर अपना मुखर आदेश पारित करेंगे।

10.3 यदि जिला पदाधिकारी द्वारा सुनवाई के पश्चात यह पाया जाता है कि चयन में गंभीर अनियमितता बरती गयी है तो जिला पदाधिकारी ऐसी सेविका / सहायिका के चयन को रद्द कर सकेंगे तथा पैनल के द्वितीय अभ्यर्थी को चयन करने का निदेश देंगे। जिला

10.9 चयन में गड़बड़ी तथा अन्य अनियमितताओं के मामले में जाँचोपरान्त कृत कारवाई/लिये गये निर्णय (किसी भी स्तर से) से वार्ड की आम सभा को अवगत कराने की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की होगी।

11. <u>त्याग पत्र</u> :–

11.1 संबंधित सेविका/सहायिका एक माह पूर्व इसकी सूचना देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगी। यह त्याग पत्र लिखित रूप से संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में भेजा जाना चाहिए। त्याग पत्र की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अंदर इसपर निर्णय लिया जायेगा। एक सप्ताह के अंदर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो त्याग पत्र स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।

11.2 त्याग पत्र देने वाली सेविका/सहायिका को पुनः बहाली का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

12. इस मार्गदर्शिका के निर्गत होने की तिथि से इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश/निदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

ह0/–
(संदीप पौण्ड्रीक)
सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक : ICDS/30010/1-2011/2862 दिनांक : 04/11/2011

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला प्रोग्राम पंदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक : ICDS/30010/1-2011/ 2862 दिनांक : 04/11/2011

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव
समाज कल्याण विभाग

अनुलग्नक–'ख'

परित्यक्ता संबंधी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती .... पिता .... ग्राम/टोला .... प्रखंड .... का विवाह श्री .... ग्राम/टोला .... प्रखंड .... के साथ वर्ष .... में हुआ था। विवाहोपरांत श्री .... ने, विगत दो वर्षों से अपनी पत्नी श्रीमती .... को अपने साथ न रखकर यूं ही छोड़ रखा है या विधिवत तलाक दे दिया है। श्रीमती .... हमारे पंचायत .... के .... ग्राम में परित्यक्ता महिला के रूप में जीवन–वसर कर रही है। इनका अपने पति के साथ विगत दो वर्षों से कोई संबंध नहीं है।

मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) का हस्ताक्षर एवं नाम
पंचायत/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) ....
दिनांक ....

परिशिष्ट–1

आँगनबाडी सेविका/सहायिका के पद हेतु आवेदन पत्र

(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)

आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

पासपोर्ट आकार का फोटो अच्छी तरह चिपकाएँ और उसपर नाम या हस्ताक्षर अंकित न करें।

सेवा में,

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,

....

....

ध्यातव्यः उपयुक्त रिक्त आयतों को नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन

01 (i) नाम (हिन्दी में) [ ]

(ii) पति का नाम [ ]

(iii) पति का व्यवसाय कृषि [ ] व्यवसाय [ ] नौकरी [ ] अन्य [ ]

(iv) श्वसुर का नाम [ ]

(v) श्वसुर का व्यवसाय कृषि [ ] व्यवसाय [ ] नौकरी [ ] अन्य [ ]

(vi) जन्म तिथि (अंकों में) दिन [ ] महीना [ ] वर्ष [ ]

(vii) दिनांक ________ को उम्र

वर्ष [ ] महीना [ ] दिन [ ]

02 (i) क्या आप भारत के नागरिक है ? [ ] 1 – हाँ 2 – नहीं

(ii) क्या आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं ? [ ] हाँ या नही लिखें

(iii) क्या आप किस आरक्षित वर्ग से हैं ? [ ] 1 – हाँ 2 – नहीं

(iv) यदि हाँ, तो संबंधितआरक्षित वर्ग का कोड रिक्त आयत मे भरें ? [ ]

02 – अ0जा0
03 – अ0ज0जा0
04 – अ0पि0व0
05 – पि0व0

(v) आपके संबंधित आरक्षित वर्ग के अधीन आपकी संबंधित जाति का नाम [ ]

03 (i) क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग है ? [ ] 1 – हाँ 2 – नहीं

(ii) यदि हाँ, तो विकलांगता का स्वरूप अंकित करें [ ]

1 – नेत्रहीन
2 – बहरा, गूंगा
3 – शारीरिक विकलांग

(iii) विकलांगता का प्रतिशत [ ]

1 – 40% से अधिक
2 – 40% से कम

04 मैपिंग पंजी में परिवार के मुखिया (पति/श्वसुर) का नाम/क्रमांक – [ ]

05 वैवाहिक स्थिति – [ ] विधवा [ ] परित्यक्ता [ ] विवाहित

06 वार्षिक आय – [ ] आय का स्रोत– कृषि [ ] व्यवसाय [ ] नौकरी [ ] अन्य [ ]

07 क्या आप सजायाप्ता हैं अथवा आपने दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अंतर्गत शांति या अच्छे व्यवहार के लिए कभी बंध पत्र दाखिल किया है ? [ ]

1– हाँ
2– नहीं

08 दूरभाष संख्या (एस0टी0डी0 कोड सहित) [ ]

मोबाइल संख्या [ ]

परिशिष्ट-2

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय .... जिला ....

ज्ञाप सं0 .... दिनांक ....

चयन पत्र

1. श्रीमती .... पति.. जो ग्राम .... पो0 .... की स्थायी निवासी है, का आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/ टोला/ मुहल्ला.. .... के आँगनबाड़ी केन्द्र (कोड सहित) .... के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक ....को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।

2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/ प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/ प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्त्तव्यों का संतोषप्रद ढ़ंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/ सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुर्नचयनित किया जा सकेगा।

3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।

4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

....